यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति अनिता खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–30.0819

संख्या 184/2013

नी दावा :

~~1.छोगा पुत्र श्योनाथ जाति मीणा निवासी संग्राममंज तहसील देवली (मृतक)~~ जिला टोंक राज0

1/1 रामनारायण पुत्र छोगा जाति मीणा निवासी संग्रामगंज तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/2 बाबूलाल पुत्र छोगा जाति मीणा निवासी संग्रामगंज तहसील देवली जिला टोंक राज0

1/3 कमला पुत्री छोगा जाति मीणा निवासी संग्रामगंज तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक

2.तहसीलदार जी, देवली तहसील देवली जिला–टोंक

3.सरपंच ग्राम पंचायत टोकरावास तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी को साबिक खसरा नम्बर 8 में 4 बीघा 4 बिस्वा जमीन आंवटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी ओर उक्त जमीन पर मौके पर जाकर कब्जा दिया गया था तथा वादी के नाम खातेदारी भी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई थी। जिसका अंकन जमाबंदी संख्या 2035 से 2038 मे दर्ज कर दिया गया। वादी का उक्त जमनी पर अलॉट की दिनांक आज तक कब्जा चला आ रहा है। हाल ही में देवली में सेटलमेन्ट हुआ ओर सेटलमेन्ट के दौरान काफी अनियमितताएं की गई है वादी के साथ भी अनियमितताए की गई थी वादी की खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 8 जिसके अलॉट होने के बाद मिन नम्बर 8/1/1 डाल दिय गये थे, के सेटलमेन्ट मे नये नम्बर 73 राकबा 2.73 है0 बना दिये गये है और उक्त खसरा नम्बर को राजस्व रिकार्ड मे चरागाह अंकित कर दिया है जबकि आज भी उक्त जमीन मे से 1.05 है0 जमीन पर वादी का कब्जा है ओर राज्य सरकार मे पेनेल्टी अदा कर रहा है। उक्त जमीन ग्राम संग्रामगंज के जानवरों के चरने के काम में नही आती है बल्कि सम्पूर्ण रकबे पर वादी के साथ अन्य लोग भी काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान वादी की खातेदारी की जमीन को खातेदारी से हटाकर चरागाह अंकित कर दी गई है जबकि हाल ख.नं. 73 में से 1.05 है0 जमीन को वादी की खातेदारी में लगाना चाहिऐ था। प्रतिवादीगण वादी को विवादित जमीन में से बेदखल करने करने पद आमादा है इस कारण उनको जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने आवश्यक है कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट

र के विवादित जमीन में से 1.05 है0 की हद तक बेदखल नही करे और पाबन्द

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार कार ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार पेरा नं. 1 को स्वीकार किया है। पेरा नं. व 3 वादी स्वयं सिद्ध करे। भूमि गै0 मु0 चारागाह है जो धारा 16 में वर्णित भूमि है। चरागाह पर अतिक्रमण होने पर नियमानुिसार पैनल्टी आरोपित की जाती है। पेरा नं0 5 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण में 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं दिया गया है। पेरा नं. 7 वादी स्वयं सिद्ध करे। पेरा नं. 8 व 9 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

विशेषः– हाल ख. नं. 73 रकबा 2.73 है0 साबिक ख. नं. 8 मिन से बना है जो रिकॉर्ड में चरागाह दर्ज है। साबिक ख. नं. 8 मिन से अन्य नम्बर भी बने होंगे। साबिक रिकॉर्ड में कुल देह में चरागाह के रकबे के मुकाबले हाल रिकॉर्ड में चरागाह का रकबा दर्ज हुआ है। हाल ख. नं. 73 में से वादीगण को खातेदारी देने पर कुल देह के चरागाह का रकबा कम हो गया । चरागाह भूमि आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमि होने से खातेदारी देय नही है। प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श करवाये जिसमें जमाबन्दी प्रदर्श–1, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श–2 व 3, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श– 4, जमाबन्दी प्रदर्श–5 व 6, पेश किये है। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी व पी. डब्ल्यू–2 रोडूलाल पुत्र बिशना जाति मीणा निवासी संग्रामगंज तहसील दूनी के पेश किये। पेरोकार सरकार द्वारा जिरह नही करने से वादी जिरह बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को साबिक ख. नं. 8 में 4 बीघा 4 बिसवा जमीन आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई थी जिसको वादी की खातेदारी में अंकित कर दी गई थी। तब से ही वादी का कब्जाकाश्त निरन्तर चला आ रहा है। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने बिना सक्षम कोर्ट आदेश के उक्त भूमि को चरागाह बना दिया और नये ख. नं. 8/1/1 बना दिये जिसके हाल ख. नं. 73 रकबा 2.73 है0 बना दिये गये जिसमें से 1.05 है0 पर आज भी वादी का कब्जा काश्त है और नियमानुसार वाद पेनल्टी अदा करता आ रहा है। इसके लिए वादी ने रिकॉर्ड पेश किया है। तहसीलदार दूनी ने अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। इसके लिए उच्च न्यायालयो ने कई बार इस सम्बन्ध में कई निर्णय दिये है कि सेटलमेन्ट को पुरानी एन्टरीज को ही दोहराना चाहिए। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को ही बहस मानने हेतु प्रार्थना की।

[illegible]–

[illegible] आये वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 73 रकबा 2.73 है0 , वाके ग्प्रम संग्रामगंज [illegible] नं से रकबा 1.05 है0 भूमि को खातेदार–काश्तकार घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] नहीं करने देने बाबत उन्हे पाबन्द कराने के हकदार है?

–वादीगण–

तनकी नं. को साबित करने का भार वादी पर था। इसके लिए वादी ने [illegible]–6 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के कॉलम नं. 5 में छोगा पुत्र श्योनाथ कोम मीणा सा. [illegible] खातेदार ख. नं. 8/1/1 रकबा 4 बीघा 4 बिसवा पेश की है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2064–67 पेश की जिसमें ख. नं. 73 रकबा 2.73 है0 भूमि चरागाह के रूप में दर्शित है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत 2066 व 2065 जो कि प्रदर्श–2 व 3 है, मे छोगा पुत्र सोनाथ द्वारा सरसो फसल काश्त है। प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2046–2065 में खसरा नं. 8 मिन से ख. नं 73 रकबा 2.73 है0 है। प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2048–51 के कॉलम नं. 4 में चरागाह अंकित है। उक्त तनकी की साबित करने के लिए आवंटन कमेटी का आवंटन आदेश, प्रपत्र आदि कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है और प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल मे भी ख. नं. 8 मिन से ख. नं. 73 रकबा 2.73 है0 बनना बताया जबकि 8 मिन से अन्य बने नम्बरो से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। सेटलमेन्ट के समय उक्त ख. नं. चरागाह नहीं था इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रदर्श–6 में ख. नं. 8/1/1 वादी की खातेदारी में दर्ज है इसके सम्बन्ध में भी कोई रिकॉर्ड वादी ने पेश नहीं किया है। साथ ही वादी द्वारा राजकीय अधिकारियो को पक्षकारान बनाने से पूर्व 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना होता है जो कि वादी द्वारा नहीं दिया गया है। अतः वादी तनकी नं. 1 को साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी नं. 1 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:– वाद वादी निरस्त योग्य है?

–पेरोकार सरकार–

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब व बहस में बताया कि वादी ने अपने वाद के पक्ष में आवंटन कमेटी आदेश, सुपुर्दगीनामा व साबिक शीट पेश नही की है और न ही अपने वाद को साबित करने हेतु सही मिलान क्षैत्रफल पेश किया है। अतः तनकी नं. 1 के निर्णयानुसारः तनकी नं. 2 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। अतः राजस्व साबिक रिकॉर्ड, आवंटन आदेश, नामान्तकरण व साबिक नक्शा शीट के अभाव के कारण वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.12.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली